

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय

भोमा बनाम चासीराम वरु  
 चक्र 128 (12.11.18)

केस संख्या 109/2018

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टिप्पणी
	23/18	पत्रावली पेञ्च हुंडी स्वील जापोरा अपीला वरु सुनी राई वासे काडेअ दिनांक 23/18 को पेञ्च हो	
	23/18	<p>काय कार्त में एवात हो</p> <p>काय कार्त में एवात हो</p> <p>काय कार्त में एवात हो</p> <p>काय कार्त में एवात हो</p>	
	8/4/18	<p>पत्रावली पेञ्च हुंडी वकील जापोरा व जापोरा अपीला उभय पक्षों को वरु सुनी राई हुंडी में वरु सुनी व पत्रावली का कवलेलाग करल पर यह स्पष्ट हो कि जापोरा कंपनी खातेदारी भूमि का सीमा चिह्न अंकित करवाकर पटपरगी करवाया जाता है जिसमें जापोरा सं 128 को कोई आपत्ति नहीं है। कतः जापोरा द्वारा प्रस्तुत जापोरा पत्र कन्वर्शन चक्र 128 एण्ड चक्र को स्वीकार किया जाना न्याय संगत साक्ष्य है</p> <p>कतः जापोरा द्वारा प्रस्तुत जापोरा पत्र कन्वर्शन चक्र 128 एण्ड चक्र को स्वीकार किया जाता है। यदि वादग्रस्त भूमि आवाजी सं 438/1 वाके गाम भादपुरा पक्षर हाफला गजोरा वहील जावारागच पिनापपुर पर यदि किसी काय न्यायालय का स्वगत काडेअ न हो तो वहीलकार जावारागच को</p>	

फर्द अहकाम

भोमा बनाम चारीराम को  
घाबा 128 P.R. Act

न्यायालय

संख्या 109/2018

क्रमांक	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
प वि		<p>निदेश दिए जाते हैं कि वे विवादित भूमि को चारों ओर की सामीकों का सीमांकन कर पत्थरगरी करना सुनिश्चित करें।</p> <p>पत्रावली फॉलो शुगर लेकर नमर से काठ हो। वाद बतौर दायित्व रखें हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 8/4/19 को मुख्य न्यायापालय सुनार बापा।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
जमवारामगढ़

